

भारत स्काउट और गाइड, उत्तर प्रदेश



-: सर्वोत्तम जनपद पुरस्कार योजना 2025-26 :-

राजस्व जनपद

प्रादेशिक मुख्यालय : गोल मार्केट, महानगर, लखनऊ

E mail : upscoutsguides@yahoo.com

Website : www.bsgup.org



फोन : 9839392275

भारत स्काउट और गाइड, उ० प्र०

प्रादेशिक प्रधान कार्यालय : स्काउट भवन, गोल मार्केट, महानगर, लखनऊ - 226006

E-mail : upscoutsguides@yahoo.com, Website : www.bsgup.org

रजिस्ट्रेशन संख्या एम० 1-9407/1959-1960

मुख्य संरक्षक

उप मुख्य संरक्षक

अध्यक्ष

मुख्यायुक्त

माननीय श्री राज्यपाल

माननीय मुख्यमंत्री

डा० महेन्द्र सिंह

डा० प्रभात कुमार

उ० प्र०

उ० प्र०

पूर्व मंत्री "जल शक्ति"

उ० प्र०

आई०ए०एस० (सेवानिवृत्त)

पूर्व अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग, उ० प्र०

पत्रांक संख्या - संश्ल० - 60...../ 157...../ 2026-27

दिनांक 25/04/2026

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी

उत्तर प्रदेश।

विषय - सर्वोत्तम जनपद पुरस्कार योजना वर्ष 2025-26 हेतु आवेदन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

वर्ष 2024-25 की भांति वर्ष 2025-26 में भी भारत स्काउट और गाइड, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सर्वोत्तम जनपद पुरस्कार योजना को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। भारत स्काउट और गाइड जनपद संस्था के अध्यक्ष होने के कारण जिलाधिकारी के लिए पृथक से पुरस्कार निर्धारित किये गये है।

योजना की विस्तृत निर्देशिका तथा आवेदन का प्रारूप इस अनुरोध के साथ प्रेषित है, की कृपया इस सम्बन्ध में जनपद के पदाधिकारियों को योजना में दी गई गाइड लाइन के अनुसार प्राथमिकता निर्धारित करते हुए समुचित कार्यवाही करने हेतु निर्देश देने का कष्ट करें।

उल्लेखनीय है, की योजना में मूल्यांकन 01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 की उपलब्धियों के आधार पर किया जायेगा। योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून 2026 होगी।

भवदीय

संलग्नक:- उक्तवत

प्रतिलिपि:- समस्त जिला मुख्यायुक्त, भारत स्काउट और गाइड, उ० प्र०।

(डा० प्रभात कुमार)

प्रादेशिक मुख्यायुक्त

(डा० प्रभात कुमार)

प्रादेशिक मुख्यायुक्त

सर्वोत्तम जनपद पुरस्कार योजना- नियमावली

प्रस्तावना:— प्रदेश स्तर पर सर्वोत्तम जनपद पुरस्कार योजना विगत वर्षों से प्रचलित है जिसमें सभी राजस्व जनपदों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है:— श्रेणी "ए" में 35 जनपद तथा श्रेणी "बी" में 40 जनपद रखे गये हैं। (सूची संलग्न है)

उद्देश्य:— योजना के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं —

1. जनपदों द्वारा स्काउट/गाइड के क्षेत्र में किये जाने वाले कार्यों को प्रोत्साहन देना।
2. युवा वर्ग में स्काउट/गाइड के सिद्धान्तों के प्रति रूचि उत्पन्न करते हुए जनपद स्तर पर बढ़ावा देना।
3. जनपद स्तर पर स्काउट/गाइड से जुड़े पदाधिकारियों को प्रोत्साहित करना।

नियमावली व आवश्यक निर्देश निम्नवत् है:—

- 1— 01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक किए गए कार्यों की आख्या जनपद द्वारा 30 जून 2026 तक सर्वोत्तम जनपद पुरस्कार योजना हेतु मुख्यालय को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध करायी जायेगी।
- 2— चयनित जनपद एवं जनपद के पदाधिकारियों को वर्ष 2026 में प्रादेशिक परिषद/स्थापना दिवस/अन्य विशिष्ट अवसर के अवसर पर पुरस्कृत/सम्मानित किया जायेगा।
- 3— सर्वोत्तम जनपद पुरस्कार योजना में जनपदों का पृथक-पृथक मूल्यांकन उनकी श्रेणी में किया जायेगा।
- 4— सर्वोत्तम जनपद पुरस्कार की धनराशि में से 50 प्रतिशत धनराशि जिला संस्था को एवं अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि जिला मुख्यायुक्त, जिला कमिश्नर (स्काउट/गाइड), जिला सचिव, जिला संगठन कमिश्नर (स्काउट/गाइड) एवं जिला प्रशिक्षण कमिश्नर (स्काउट/गाइड) को जिलाधिकारी (जिला अध्यक्ष) द्वारा कार्य के मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जायेगी। योजना में पुरस्कृत जनपदों के जिलाधिकारियों को पुरस्कार धनराशि देकर सम्मानित किया जायेगा।

पुरस्कार धनराशि का विवरण —

"ए" श्रेणी

पुरस्कार	पुरस्कार धनराशि		
	जनपद	जिलाधिकारी	संबंधित ए0एस0ओ0सी0
प्रथम	1,00,000	25,000	10,000
द्वितीय	75,000	20,000	7,000
तृतीय	50,000	15,000	5,000

"बी" श्रेणी

पुरस्कार	पुरस्कार धनराशि		
	जनपद	जिलाधिकारी	संबंधित ए0एस0ओ0सी0
प्रथम	80,000	20,000	8,000
द्वितीय	60,000	15,000	5,000
तृतीय	40,000	10,000	3,000

नोट— यदि एक ही मण्डल क्षेत्र से एक से ज्यादा जनपद पुरस्कार के मानक में आते हैं तो भी मण्डल के ए0एस0ओ0सी0 को एक ही पुरस्कार दिया जाएगा।

5— प्रदेश स्तर पर सर्वोत्तम जनपद पुरस्कार योजना में प्रतिभागिता हेतु जनपदों का चयन एक समिति के माध्यम से किया जायेगा जिसका गठन प्रादेशिक मुख्यायुक्त द्वारा किया जायेगा।

6- चयन करने का आधार एवं स्वमूल्यांकन प्रक्रिया :- प्रत्येक जनपद का निम्नांकित 15 बिन्दुओं पर मूल्यांकन किया जायेगा तथा योजना के अनुरूप कुल 100 अंकों में से प्राप्त कुल अंकों के आधार पर प्रथम तीन जनपदों का चयन दोनों श्रेणियों में पृथक-पृथक किया जायेगा ।

क्रम	बिन्दु	अंक
1	नवीन पंजीकृत दल (अनुदानित बेसिक विद्यालयों के दलों को छोड़कर)	10
2	नवीनीकृत दल (अनुदानित बेसिक विद्यालयों के दलों को छोड़कर)	10
3	10 प्रतिशत स्काउट/गाइड अंशदान	05
4	अन्य देयों की वसूली की स्थिति	05
5	बी0एड0/डी0एल0एड0 महाविद्यालयों में प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन	10
6	वयस्क प्रशिक्षण बिगनर्स कोर्स, बेसिक/एडवांस कोर्स, विशेषज्ञता कोर्स	10
7	एच0डब्लू0बी0/प्री0ए0एल0टी0/ए0एल0टी0 तैयार करने पर	08
8	बेवसाइट अपडेशन और ओ0वाई0एम0एस0 अपडेशन (नये पंजीकृत दलों के)	05
9	राज्य पुरस्कार प्राप्त स्काउट/गाइड/गोल्डन ऐरो एवार्ड की संख्या	05
10	तृतीय सोपान में प्रतिभागिता	06
11	एडवेन्चर कार्यक्रमों तथा अन्य प्रादेशिक कार्यक्रमों में प्रतिभागिता	10
12	एक जनपद एक गतिविधि एवं चीफ कमिश्नर फेलोशिप में उपलब्धि	04
13	जिला संस्था का वित्तीय प्रशासन तथा सम्परीक्षण	05
14	जिला संगठन (परिषद, कार्यकारिणी, विभिन्न विभागों के पदाधिकारी (नियुक्ति एवं बैठक)	05
15	तेजल पत्रिका में जनपद की गतिविधियों का प्रकाशन	02
	कुल अंक	100

मूल्यांकन प्रक्रिया :- मूल्यांकन प्रक्रिया निम्नवत् होगी:-

बिन्दु-1-नवीन पंजीकृत दल (अनुदानित बेसिक दलों को छोड़कर):- प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष माध्यमिक/शासकीय/अशासकीय माध्यमिक विद्यालय/राजकीय विद्यालय आदि में वित्तीय वर्ष 2025-26 में पंजीकृत कराए गये मुख्यालय द्वारा दिए गये संलग्न लक्ष्य के आधार पर नए दलों की संख्या पर कुल 10 अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार होगा :-

(अ) जनपद द्वारा माध्यमिक/शासकीय/अशासकीय माध्यमिक विद्यालय/राजकीय विद्यालय आदि में प्रस्तुत पंजीकृत नवीन दलों के विवरण पर कुल 06 अंक का निर्धारण निम्न प्रकार होगा :-

100 प्रतिशत पंजीकृत दल होने पर	-06 अंक
90 प्रतिशत पंजीकृत दल होने पर	-05 1/2 अंक
80 प्रतिशत पंजीकृत दल होने पर	-05 अंक
70 प्रतिशत पंजीकृत दल होने पर	-04 1/2 अंक
60 प्रतिशत पंजीकृत दल होने पर	-04 अंक
50 प्रतिशत पंजीकृत दल होने पर	-03 1/2 अंक
40 प्रतिशत पंजीकृत दल होने पर	-03 अंक
40 प्रतिशत से कम पंजीकृत दल होने पर	-00 अंक

(ब) सी0बी0एस0ई0 विद्यालयों में जनपदवार विद्यालयों की संख्या के सापेक्ष युनिट पंजीकृत कराये जाने पर कुल 04 अंको का निर्धारण निम्न प्रकार होगा (प्रत्येक जनपद का लक्ष्य है वहां स्थित सी0बी0एस0ई0 विद्यालयों की संख्या के बराबर होगा जो किसी भी दशा में 20 दलों से कम नहीं होगा):-

100 प्रतिशत पंजीकृत दल होने पर	-04 अंक
90 प्रतिशत पंजीकृत दल होने पर	-03 1/2 अंक
80 प्रतिशत पंजीकृत दल होने पर	-03 अंक
70 प्रतिशत पंजीकृत दल होने पर	-02 1/2 अंक
60 प्रतिशत पंजीकृत दल होने पर	-02 अंक
50 प्रतिशत पंजीकृत दल होने पर	-01 1/2 अंक
40 प्रतिशत पंजीकृत दल होने पर	-01 अंक
40 प्रतिशत से कम पंजीकृत दल होने पर	-00 अंक

बिन्दु-2 (अ) नवीनीकृत दल (अनुदानित बेसिक दलों को छोड़कर) :- प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा जनपद में पंजीकृत दलों के सापेक्ष जनपद द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में नवीनीकरण कराने पर कुल 06 अंकों का निर्धारण इस प्रकार होगा :- (माध्यमिक विद्यालय)

100 प्रतिशत पंजीकृत दल नवीनीकृत होने पर	-06 अंक
90 प्रतिशत पंजीकृत दल नवीनीकृत होने पर	-05 1/2 अंक
80 प्रतिशत पंजीकृत दल नवीनीकृत होने पर	-05 अंक
70 प्रतिशत पंजीकृत दल नवीनीकृत होने पर	-04 1/2 अंक
60 प्रतिशत पंजीकृत दल नवीनीकृत होने पर	-04 अंक
50 प्रतिशत पंजीकृत दल नवीनीकृत होने पर	-03 1/2 अंक
40 प्रतिशत पंजीकृत दल नवीनीकृत होने पर	-03 अंक
40 प्रतिशत से कम पंजीकृत दल नवीनीकृत होने पर	-00 अंक

(ब) नवीनीकृत दल (सी0बी0एस0ई0 विद्यालय) :- प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा जनपद में पंजीकृत दलों के सापेक्ष जनपद द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में नवीनीकरण कराने पर कुल 04 अंकों का निर्धारण इस प्रकार होगा:-

100 प्रतिशत पंजीकृत दल नवीनीकृत होने पर	-04 अंक
90 प्रतिशत पंजीकृत दल नवीनीकृत होने पर	-03 1/2 अंक
80 प्रतिशत पंजीकृत दल नवीनीकृत होने पर	-03 अंक
70 प्रतिशत पंजीकृत दल नवीनीकृत होने पर	-02 1/2 अंक
60 प्रतिशत पंजीकृत दल नवीनीकृत होने पर	-02 अंक
50 प्रतिशत पंजीकृत दल नवीनीकृत होने पर	-01 1/2 अंक
40 प्रतिशत पंजीकृत दल नवीनीकृत होने पर	-01 अंक
40 प्रतिशत से कम पंजीकृत दल नवीनीकृत होने पर	-00 अंक

बिन्दु-3-10 प्रतिशत स्काउट/गाइड अंशदान :- वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा जनपदों को 10 प्रतिशत अंशदान में दिये गये लक्ष्य के अनुक्रम में मुख्यालय को प्राप्त धनराशि के आधार पर कुल 05 अंको का निर्धारण इस प्रकार होगा :-

100 प्रतिशत अंशदान राशि जमा होने पर	-05 अंक
90 प्रतिशत अंशदान राशि जमा होने पर	-04 1/2 अंक
80 प्रतिशत अंशदान राशि जमा होने पर	-04 अंक
70 प्रतिशत अंशदान राशि जमा होने पर	-03 1/2 अंक
60 प्रतिशत अंशदान राशि जमा होने पर	-03 अंक
50 प्रतिशत अंशदान राशि जमा होने पर	-02 1/2 अंक
40 प्रतिशत अंशदान राशि जमा होने पर	-02 अंक
40 प्रतिशत अंशदान राशि से कम जमा होने पर	-00 अंक

बिन्दु-04- अन्य देयों के वसूली की स्थिति :- प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा जिला संस्थाओं को प्रादेशिक मुख्यालय के पंजीकरण/कोटामनी/सम्बद्धता शुल्क/वारण्ट शुल्क/झण्डा शुल्क के अवशेषों की सूचना प्रेषित की गई है।

जिला संस्था द्वारा अवशेषों के सम्बन्ध में प्रादेशिक मुख्यालय को धनराशि प्रेषित किये जाने पर कुल 05 अंकों का निर्धारण इस प्रकार होगा:-

100 प्रतिशत अवशेष धनराशि जमा करने पर	- 05 अंक
90 प्रतिशत अवशेष धनराशि जमा करने पर	- 04 1/2 अंक
80 प्रतिशत अवशेष धनराशि जमा करने पर	- 04 अंक
70 प्रतिशत अवशेष धनराशि जमा करने पर	- 03 1/2 अंक
60 प्रतिशत अवशेष धनराशि जमा करने पर	- 03 अंक
50 प्रतिशत अवशेष धनराशि जमा करने पर	- 02 1/2 अंक
40 प्रतिशत अवशेष धनराशि जमा करने पर	- 02 अंक
40 प्रतिशत से कम अवशेष धनराशि जमा करने पर	- 00 अंक

बिन्दु-05- बी0एड0/डी0एल0एड0 शिविर आयोजित करने पर :- प्रत्येक जनपद का कैम्प लक्ष्य जनपद में कुल महाविद्यालय/संस्थानों की संख्या के बराबर होगा तथा वर्ष के प्रारम्भ में निर्धारित किया जाएगा। (कम से कम 200 प्रतिभागी होना अनिवार्य है) डी0एल0एड0 शिविरों हेतु निम्नानुसार 10 अंकों का निर्धारण इस प्रकार होगा :-

100 प्रतिशत प्रशिक्षण कराए जाने पर	- 10 अंक
90 प्रतिशत प्रशिक्षण कराए जाने पर	- 09 अंक
80 प्रतिशत प्रशिक्षण कराए जाने पर	- 08 अंक
70 प्रतिशत प्रशिक्षण कराए जाने पर	- 07 अंक
60 प्रतिशत प्रशिक्षण कराए जाने पर	- 06 अंक
50 प्रतिशत प्रशिक्षण कराए जाने पर	- 05 अंक
40 प्रतिशत प्रशिक्षण कराए जाने पर	- 04 अंक
40 प्रतिशत से कम होने पर	- 00 अंक

बिन्दु-06- वयस्क प्रशिक्षण बिगनर्स कोर्स, बेसिक/एडवांस कोर्स, विशेषज्ञता कोर्स:- प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद द्वारा निम्नवत् प्रशिक्षण शिविरों में प्रतिभागिता के आधार पर कुल 10 अंकों का निर्धारण इस प्रकार होगा :-

(ए) बिगनर्स कोर्स- बिगनर्स कोर्स हेतु 03 अंकों का निर्धारण निम्नानुसार होगा :-

जनपद स्तर पर बिगिनर्स कोर्स के आयोजन में 100% की प्रतिभागिता होने पर	- 03 अंक
जनपद स्तर पर बिगिनर्स कोर्स के आयोजन में 50% की प्रतिभागिता होने पर	- 02 अंक
जनपद स्तर पर बिगिनर्स कोर्स के आयोजन में 25% की प्रतिभागिता होने पर	- 01 अंक

("ए श्रेणी" के जनपद का लक्ष्य 200 प्रतिभागी एवं "बी श्रेणी" के जनपद का लक्ष्य 100 प्रतिभागी)

(बी) बेसिक कोर्स-

जनपद स्तर पर सभी विंग में बेसिक कोर्स के आयोजन करने पर निम्नवत् संख्या में यूनिट लीडर की प्रतिभागिता पर कुल 03 अंकों का निर्धारण निम्नवत् है:-

प्रतिभागी कब मास्टर सं0- 24 होने पर	- 01 अंक
प्रतिभागी फ्लाक लीडर सं0- 24 होने पर	- 01 अंक
प्रतिभागी स्काउट मास्टर सं0- 40 होने पर	- 1/2 अंक
प्रतिभागी गाइड कैप्टन सं0- 40 होने पर	- 1/2 अंक

(सी) एडवान्स कोर्स-

जनपद स्तर पर सभी विंग में एडवान्स कोर्स के आयोजन करने पर निम्नवत् संख्या में यूनिट लीडर की प्रतिभागिता पर कुल 02 अंकों का निर्धारण निम्नवत् है:-

प्रतिभागी कब मास्टर	सं०- 15 होने पर	- 1/2 अंक
प्रतिभागी पलाक लीडर	सं०- 15 होने पर	- 1/2 अंक
प्रतिभागी स्काउट मास्टर	सं०- 20 होने पर	- 1/2 अंक
प्रतिभागी गाइड कैप्टन	सं०- 20 होने पर	- 1/2 अंक

(डी) विशेषज्ञता कोर्स- जनपद स्तर पर स्कीम आफ ट्रेनिंग के आधार पर निर्धारित 4 विषयों से संबंधित कोर्स आयोजन में प्रति कोर्स 15 या अधिक की संख्या या कुल चारों कोर्स में 60 की संख्या में प्रतिभागिता होने पर कुल 2 अंकों का निर्धारण इस प्रकार होगा :-

प्रत्येक विषय से संबंधित कोर्स प्रतिभागी	सं०- 15 या अधिक होने पर	- 1/2 अंक
प्रत्येक विषय से संबंधित कोर्स प्रतिभागी	सं०- 15 या अधिक होने पर	- 1/2 अंक
प्रत्येक विषय से संबंधित कोर्स प्रतिभागी	सं०- 15 या अधिक होने पर	- 1/2 अंक
प्रत्येक विषय से संबंधित कोर्स प्रतिभागी	सं०- 15 या अधिक होने पर	- 1/2 अंक
अथवा चारों कोर्सों में 60 की संख्या होने पर		- 02 अंक

बिन्दु-07- एच०डब्लू०बी०/ए०एल०टी०/एल०टी० तैयार करने पर :- जनपद स्तर पर यूनिट लीडर तैयार करने पर निम्नानुसार 08 अंक प्राप्त होंगे।

	बड़े जनपद	छोटे जनपद	अंक
हिमालय वुडबैज	16	08	- 03 अंक
ए०एल०टी०	04	02	- 03 अंक
एल० टी०	02	01	- 02 अंक

बिन्दु-08- वेबसाइट अपडेशन और ओ०वाई०एम०एस० अपडेशन/(नये पंजीकृत दलों के) यू०आई०डी० अपडेशन:- प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा जिला संस्थाओं को वेबसाइट अपडेशन और ओ०वाई०एम०एस० अपडेशन के सुचारु रूप से जनपदों में संचालित किये जाने हेतु निर्देश प्रेषित किये गये हैं। उसी क्रम में कुल 05 अंकों में से अनुपालन की स्थिति में अंको का निर्धारण निम्नवत् होगा :-

(I) OYMS के अनुसार जनपदों द्वारा दलों का ऑनलाइन कराना - 02 अंक (इनका मूल्यांकन निम्न प्रकार होगा)

OYMS के अनुसार जनपदों द्वारा (नये) दलों को 100 प्रतिशत आनलाइन कराये जाने पर	- 02 अंक
OYMS के अनुसार जनपदों द्वारा दलों को 50 प्रतिशत आनलाइन कराये जाने पर	- 01 अंक
OYMS के अनुसार जनपदों द्वारा दलों को 50 प्रतिशत से कम आनलाइन कराये जाने पर	- 00 अंक

(II) जनपद स्तर पर वेबसाइट लागू कराये जाने पर (मुख्यालय के वेबपेज पर) तथा उसके अपडेशन पर - 02 अंक

(III) जनपद स्तर पर बी०एस०जी० यू०पी० सॉफ्टवेयर पर कार्य करने पर - 01 अंक

बिन्दु-09- राज्य पुरस्कार प्राप्त स्काउट/गाइड/गोल्डन ऐरो एवार्ड की संख्या :- वित्तीय वर्ष में जनपद द्वारा राज्य पुरस्कार (स्काउट/गाइड)/(रोवर/रेंजर)/गोल्डन ऐरो एवार्ड(कब-बुलबुल) तैयार कराये जाने पर प्रतिभागिता एवं संख्या के आधार पर कुल 5 अंको का निर्धारण इस प्रकार होगा-

	बड़े जनपद	छोटे जनपद	अंक
राज्य पुरस्कार स्काउट तैयार करने पर (संख्या)	50	30	- 02 अंक
राज्य पुरस्कार गाइड तैयार करने पर (संख्या)	50	30	- 02 अंक
गोल्डन ऐरो एवार्ड की तैयार करने पर (संख्या)	10	05	- 01 अंक

बिन्दु-10- तृतीय सोपान में प्रतिभागिता :-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश स्काउट-गाइड के तृतीय सोपान का प्रशिक्षण कराये जाने पर संख्या के आधार पर कुल 06 अंको का निर्धारण इस प्रकार होगा-

तृतीय सोपान दिये गये लक्ष्य के अनुसार 100% पर	—	06 अंक
तृतीय सोपान दिये गये लक्ष्य के अनुसार 75% पर	—	04 अंक
तृतीय सोपान दिये गये लक्ष्य के अनुसार 50% पर	—	03 अंक

बिन्दु-11— एडवेन्चर कार्यक्रमों तथा अन्य प्रादेशिक कार्यक्रमों में प्रतिभागिता :- वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रादेशिक प्रशिक्षण केन्द्र शीतलाखेत एवं प्रादेशिक प्रशिक्षण केन्द्र प्रयागराज के कार्यक्रमों में प्रतिभागिता कराये जाने पर कुल 10 अंको का निर्धारण इस प्रकार होगा -

(ए)—प्रादेशिक प्रशिक्षण केन्द्र शीतलाखेत तथा प्रयागराज में आयोजित एडवेन्चर कार्यक्रम — **05 अंक**
 लक्ष्य के सापेक्ष 100% उपलब्धि पर — 05 अंक
 लक्ष्य के सापेक्ष 75% उपलब्धि पर — 04 अंक
 लक्ष्य के सापेक्ष 50% उपलब्धि पर — 03 अंक

(बी)—प्रादेशिक प्रशिक्षण केन्द्र शीतलाखेत तथा प्रयागराज में आयोजित अन्य प्रादेशिक कार्यक्रम — **05 अंक**
 लक्ष्य के सापेक्ष 100% उपलब्धि पर — 05 अंक
 लक्ष्य के सापेक्ष 75% उपलब्धि पर — 04 अंक
 लक्ष्य के सापेक्ष 50% उपलब्धि पर — 03 अंक

बिन्दु-12— एक जनपद एक गतिविधि तथा चीफ कमिश्नर फेलोशिप :- 04 अंक

(ए)— एक जनपद एक गतिविधि — 02 अंक
 (बी)— चीफ कमिश्नर फेलोशिप — 02 अंक

बिन्दु-13— जिला संस्था का वित्तीय प्रशासन एवं सम्परीक्षण :- प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा जिला संस्था को वित्तीय प्रशासन के दिशा निर्देश प्रादेशिक मुख्यालय के पत्र सं० सी०जी०-94/2020-21 दिनांक 24.09.2020 द्वारा प्रेषित किये गये हैं। जारी निर्देशों के अनुक्रम में जिला संस्था द्वारा वित्तीय प्रशासन की व्यवस्था के अनुपालन पर कुल 05 अंको का निर्धारण इस प्रकार होगा -

(ए)— जिला संस्था द्वारा नियमित आडिट कराने तथा वित्तीय वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट समयानुसार प्रस्तुत करने पर — **02 अंक**
 (बी)— जिला संस्था के खाते का नियमानुसार संचालन कराये जाने पर — **01 अंक**
 (सी)— वित्तीय अभिलेखों का नियमानुसार (कैश बुक, लेजर, रसीद बुक, गार्ड फाईल) रख रखाव किये जाने पर — **02 अंक**

बिन्दु-14— जिला संगठन (कार्यकारिणी, विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति एवं बैठके) :- जिला संस्था द्वारा जिला कार्यकारिणी एवं जिला काउन्सिल के सभी पदों पर नियमानुसार नियुक्ति कराये जाने पर जिला संस्था के कार्यालय व अभिलेखों को व्यवस्थित किये जाने पर कुल 05 अंको का निर्धारण इस प्रकार होगा -

(ए)—जिला कार्यकारिणी के सभी पदों पर नियुक्ति होने पर — **01 अंक**
 (बी)—जिला संस्था के अभिलेखों का नियमानुसार रखरखाव होने पर — **03 अंक**
 (स्टॉक रजिस्टर, प्रशिक्षण पंजिका, कार्यवृत्त पंजिका)
 (सी)—परिषद एवं कार्यकारिणी तथा अन्य समितियों की समयान्तर्गत बैठक — **01 अंक**

नोट— उक्त ए, बी, सी का प्रमाण पत्र मण्डल के सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त द्वारा प्रदत्त मान्य होगा।

बिन्दु-15— तेजल पत्रिका में जनपद की गतिविधियों का प्रकाशन — मूल्यांकन 02 अंको के आधार पर किया जायेगा -

(1) वर्ष भर के सभी चारों अंको में जिले की गतिविधियों का प्रकाशन — 02 अंक
 (2) तीन अंको में जिले की गतिविधियों का प्रकाशन — 01 अंक
 (3) तीन से कम अंको में जिले की गतिविधियों का प्रकाशन — 00 अंक



भारत स्काउट और गाइड, उत्तर प्रदेश

प्रादेशिक मुख्यालय : महानगर, लखनऊ

सर्वोत्तम जनपद पुरस्कार योजना- प्रारूप

जनपद:

जनपद श्रेणी (ए/बी) :

जनपद सम्बद्धता क्रमांक :

बिंदु- 01 – जनपद में वित्तीय वर्ष में नवीन पंजीकृत (Non-CBSE/ CBSE) यूनिट्स का लक्ष्य/ उपलब्धि /प्रतिशत (बेसिक अनुदानित को छोड़कर) निम्नानुसार है – (कुल 10 अंक)

(ए) Non-CBSE (माध्यमिक) पंजीकरण – (06 अंक)

वर्ग	प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा दिया गया लक्ष्य	जनपद की प्राप्त उपलब्धि	उपलब्धि के सापेक्ष प्रतिशत
Non-CBSE			

(बी) CBSE पंजीकरण – (04 अंक)

वर्ग	प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा दिया गया लक्ष्य	जनपद की प्राप्त उपलब्धि	उपलब्धि के सापेक्ष प्रतिशत
CBSE			

बिंदु- 02 - जनपद में वित्तीय वर्ष में नवीनीकृत (Non-CBSE/ CBSE) यूनिट्स की संख्या (बेसिक अनुदानित को छोड़कर) निम्नानुसार है - (कुल 10 अंक)

(ए)- यूनिट नवीनीकरण (Non-CBSE माध्यमिक विद्यालय)- (06 अंक)

विवरण	कब	बुलबुल	स्काउट	गाइड	कुल
प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा निर्गत जनगणना प्रपत्र के अनुसार यूनिट्स की संख्या (लक्ष्य)					
प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा निर्गत जनगणना प्रपत्र के सापेक्ष नवीनीकृत यूनिट्स की संख्या (उपलब्धि)					
लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि का प्रतिशत					

(बी)- यूनिट नवीनीकरण (CBSE विद्यालय)- (04 अंक)

विवरण	कब	बुलबुल	स्काउट	गाइड	कुल
प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा निर्गत जनगणना प्रपत्र के अनुसार यूनिट्स की संख्या (लक्ष्य)					
प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा निर्गत जनगणना प्रपत्र के सापेक्ष नवीनीकृत यूनिट्स की संख्या (उपलब्धि)					
लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि का प्रतिशत					

बिंदु- 03 – 10 प्रतिशत अंशदान - (05 अंक)

वित्तीय वर्ष में 10 प्रतिशत अंशदान का विवरण

विवरण	धनराशि
प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा निर्गत प्रपत्रके अनुसार 10% अंशदान की धनराशि	
प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा निर्गत प्रपत्र के सापेक्ष जमा की गई धनराशि	

✓ जनपद द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त उपलब्धि का प्रतिशत :

बिंदु- 04– अवशेषों के वसूली की स्थिति - (05 अंक)

- वित्तीय वर्ष में प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा प्रेषित कोटामनी / सम्बद्धता शुल्क / वारंट शुल्क / झंडा शुल्क के अवशेषों की स्थिति -

क्र०सं०	मद	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1	कोटामनी			
2	सम्बद्धता शुल्क			
3	कमिश्नर वारंट शुल्क			
4	झंडा शुल्क			

बिंदु- 05– बी०एड०/डी०एल०एड० महाविद्यालयों में प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन - (10 अंक)

जनपद में बी०एड०/डी०एल०एड० शिविर तथा प्रतिभागी संख्या का लक्ष्य		जनपद में आयोजित लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि		लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि का प्रतिशत
शिविर लक्ष्य संख्या	प्रतिभागी संख्या	शिविर संख्या	प्रतिभागी संख्या	

बिंदु- 06– वयस्क प्रशिक्षण :- बिगनर्स कोर्स, बेसिक/एडवांस कोर्स, विशेषज्ञता कोर्स में प्रतिभागिता - (कुल 10 अंक)

- बिगनर्स कोर्स – (03 अंक)

कोर्स संख्या	प्रतिभागी संख्या लक्ष्य	उपलब्धि संख्या	लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि का प्रतिशत

- जनपद में आयोजित सभी विंग में बेसिक कोर्स के आयोजन पर लक्ष्य के सापेक्ष प्रतिभागी संख्या – (03 अंक)

कब मास्टर	फ्लाक लीडर	स्काउट मास्टर	गाइड कैप्टन

- जनपद में आयोजित सभी विंग में एडवान्स कोर्स के आयोजन पर प्रतिभागी संख्या - (02 अंक)

कब मास्टर	फ्लाक लीडर	स्काउट मास्टर	गाइड कैप्टन

- विशेषज्ञता कोर्स :- जनपद में आयोजित कोई 02 विषयों पर विशेष कोर्स के आयोजन का विवरण - (02 अंक)

क्रम०सं०	कोर्स का नाम	कोर्स की संख्या	प्रतिभागी संख्या
1			
2			

बिंदु - 07 - एच०डब्लू०बी०/प्री ए०एल०टी०/ए०एल०टी०/एल०टी० - (08 अंक)

➤ वित्तीय वर्ष में जनपद में तैयार एच०डब्लू०बी० धारक / ट्रेनर्स की संख्या -

-	एच०डब्लू०बी०	ए०एल०टी०	एल०टी०
लक्ष्य			
उपलब्धि			
प्रतिशत			

बिंदु- 08 - वेबसाइट अपडेशन - (05 अंक)

➤ जिला संस्था द्वारा वेबसाइट और आई०टी० सम्बंधित अपडेशन की जानकारी निम्नानुसार अंकित करें

OYMS पर नए पंजीकृत कुल यूनिट्स की संख्या तथा प्रतिशत लक्ष्य के प्रति	जनपद द्वारा कितने दलों को UID उपलब्ध कराई गई	जनपद के वेबपेज के अपडेशन की स्थिति (हाँ या नहीं में अंकित करें) साक्ष्य संलग्न करें	जनपद द्वारा बी०एस०जी० यू०पी० सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण एवं संगठन शिविरों की ऑनलाइन स्थिति

बिंदु- 09 - (गोल्डन एरो अवार्ड (कब/बुलबुल) / राज्य पुरस्कार (स्काउट/गाइड) - (05 अंक)

➤ वित्तीय वर्ष में जनपद में उक्त जाँच शिविर में सफल कब बुलबुल/ स्काउट/गाइड की संख्या

लक्ष्य / उपलब्धि	कब	बुलबुल	स्काउट	गाइड
प्रदेश मुख्यालय द्वारा दिया गया लक्ष्य				
लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि				
उपलब्धि के सापेक्ष प्रतिशत				

बिंदु- 10 - तृतीय सोपान में प्रतिभागिता - (06 अंक)

➤ वित्तीय वर्ष में जनपद में उक्त जाँच शिविर में करने वाले स्काउट/गाइड की संख्या

लक्ष्य / उपलब्धि	तृतीय सोपान	
	स्काउट	गाइड
प्रदेश मुख्यालय द्वारा दिया गया लक्ष्य		
लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि		
उपलब्धि के सापेक्ष प्रतिशत		

बिंदु 11 - एडवेंचर कार्यक्रम में प्रतिभागिता - (10 अंक)

वित्तीय वर्ष में जनपद द्वारा एडवेंचर कार्यक्रमों में प्रतिभागिता की स्थिति :-

(ए) प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्र, शीतलाखेत

क्र.सं.	कार्यक्रम/कैम्प का नाम	लक्ष्य	प्रतिभागी संख्या (लक्ष्य के सापेक्ष)	उपलब्धि के सापेक्ष प्रतिशत
1				
2				
3				
4				

(बी) प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्र, प्रयागराज

क्र.सं.	कार्यक्रम/कैम्प का नाम	लक्ष्य	प्रतिभागी संख्या (लक्ष्य के सापेक्ष)	उपलब्धि के सापेक्ष प्रतिशत
1				
2				
3				
4				

बिंदु- 12- (ए) एक जनपद एक गतिविधि - (02 अंक)

गतिविधि का नाम	कार्यक्रम स्थल	समयावधि	उपलब्धि/ उपयोगिता	उपलब्धि का प्रतिशत

(बी)-चीफ कमिश्नर फेलोशिप - (02 अंक)

प्रोजेक्ट का नाम	प्रोजेक्ट स्थल	समयावधि	उपलब्धि/ उपयोगिता	उपलब्धि का प्रतिशत

बिंदु- 13- जिला संस्था का वित्तीय प्रशासन - (05 अंक)

- वित्तीय वर्ष में जिलासंस्था का वित्तीय प्रशासन हेतु निम्नानुसार अनुपालन की स्थिति : (हाँ या नहीं अंकित करें)

क्र० सं०	विवरण	हाँ या नहीं	अंतिम आडिट का वर्ष
1	जिला संस्था में नियमित आडिट हो रहा है		
2	वित्तीय वर्ष की जिला संस्था द्वारा प्रादेशिक मुख्यालय को अंतिम आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दिनांक		
3	जिला संस्था के खाते का नियमानुसार संचालन		

1. किन - किन अभिलेखों का रख- रखाव हो रहा है -

2. अभिलेख के Updation की स्थिति -

बिंदु- 14- जिला कार्यकारिणी / जिला काउन्सिल / विभिन्न समितियों की बैठकें - (05 अंक)

- वित्तीय वर्ष में जिला संस्था द्वारा आयोजित जिला कार्यकारिणी / जिला काउन्सिल की बैठकों का विवरण :-

क्र. सं.	नाम	बैठकों की संख्या	दिनांक	स्थान	प्रतिभागी संख्या	बैठक का कार्यवृत्त जारी दिनांक	कार्यवृत्त प्रदेश मुख्यालय प्रेषण का दिनांक
1	जिला कार्यकारिणी						
2	जिला काउन्सिल						

बिंदु- 15- तेजल पत्रिका में जनपद की गतिविधियों का प्रकाशन (साक्ष्य संलग्न करें) – (02 अंक)

तेजल पत्रिका हेतु जनपद से प्रेषित की गई कुल रिपोर्ट संख्या में	तेजल पत्रिका में प्रकाशित रिपोर्ट संख्या में

नोट- निर्धारित आवेदन प्रपत्र में दिए गए आंकड़ों /कथन के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य लगाना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून 2026 है,

स्मरणीय बिन्दु निम्नवत हैं:-

- 1- योजना के अंतर्गत क्वालीफाई करने एवं अर्ह होने के लिए 100 अंको में से कम से कम 50 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 50 अंक से कम अंक प्राप्त करने पर जनपद पुरस्कार प्राप्त करने हेतु अर्ह नहीं होगा।
- 2- सर्वोत्तम जनपद पुरस्कार योजना में समस्त अधिकार प्रादेशिक मुख्यायुक्त में निहित होंगे तथा प्रादेशिक मुख्यायुक्त का निर्णय अंतिम होगा।
- 3- उपरोक्त पुरस्कारों के अतिरिक्त अधिक प्रतिस्पर्धा होने की स्थिति में सांत्वना पुरस्कार देने का निर्णय प्रादेशिक मुख्यायुक्त में निहित होगा।

=====XXX=====

बिंदु 15